भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5748

06 अप्रैल, 2022 के लिए प्रश्न

हरियाणा में एफसीआई के गोदाम में गेहूं की बोरियों का खराब होना

5748. श्री रोड़मल नागर:

श्री शंकर लालवानी:

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा के सोनीपत में एफसीआई के गोदामों में कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से सबमर्सिबल का उपयोग कर अनाज खराब करने के लिए गेहूं की बोरियों को पानी में भिगोया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण क्या हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) सोनीपत, हरियाणा के गोदाम में कर्मचारियों द्वारा सबमर्सिबल का उपयोग करके गेहूं को पानी से भिगोने की घटना नहीं हुई है। ऐसी घटना हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति तथा विपणन संघ लिमिटिड (हैफेड), सोनीपत, जो हरियाणा सरकार के अंतर्गत एक संगठन है, से संबंधित निजी उद्यम गारंटी (पीईजी) के गोदाम में घटित हुई है।

(ख): हैफेड द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

- गोदाम के संबंधित कार्मिकों को निलम्बित कर दिया गया है।
- उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा रही है।
- राज्य सरकार द्वारा हैफेड के दोषी कार्मिकों के विरूद्ध आपराधिक कार्रवाई की गई है तथा थाना मोहाना (सोनीपत) में एफआईआर दर्ज की गई है।

(ग) से (ङ): भारतीय खाद्य निगम ने सभी मंडल कार्यालयों को ऐसी घटनाओं के प्रति सतर्क रहने का निदेश दिया है।

******